



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:एफ9(247)/स्टोर/A.C-AMC/2024-25/220

दिनांक: 08.05.2024

कोटेशन के लिए अनुरोध - 03/2024-25

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मुख्यालय कार्यालय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर में संस्थापित 17 ए.सी. (एयरकण्डीशनर्स) के वार्षिक रखरखाव की दर संविदा (A.M.C.) पार्ट्स एवं इंस्टॉलेशन/अनइंस्टॉलेशन संबंधित कार्य करवाये जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत फर्म/संवेदकों से दरें प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं-

Sr. No	Particulars	Offered Rate for below Items / Works Per Unit
1.	Jet Pump Services (Including Labour Chagres)	
2.	Gas Refilling Chagres - R-22 (Including Labour Chagres)	
3.	Gas Refilling Chagres Nitrogen (Including Labour Chagres)	
4.	Installation Charges (Including Labour Charges)	
5.	Dismantling Charges (Including Labour Charges)	
6.	Copper Piping Wiring Insulation (Including Labour Charges)	
7.	Air Filter (Including Labour Charges)	
8.	Capacitor (Including Labour Charges)	
9.	Copper Condenser – Indoor (Including Labour Charges)	
10.	Copper Condenser – Outdoor (Including Labour Charges)	
11.	3 Core Wire (Including Labour Charges)	
12.	Plastic Pipe (Including Labour Charges)	
13.	Compressor Replacement (Including Labour Charges)	
14.	Leakage winding Related Work (Including Labour Charges)	
15.	Power Box (Including Labour Charges)	
16.	P.C.B. Repairing Charges (Including Labour Charges)	
17.	New P.C.B. Charges (Including Labour Charges)	
18.	A.C. Remote	
19.	Fan Capacitor (Including Labour Charges)	
20.	Fan Motor Repairing Charges (Including Labour Charges)	
21.	Hole Mape in The Wall (Including Labour Charges)	
22.	Condenser Coil Change (Including labour Charges)	
23.	Visit/Call Charges (Lumpsum)	


कोटेशन दिनांक 14.05.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक बन्द लिफाफों में स्वीकार की जायेगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 12.00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 60000 हजार रुपये व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन की शर्तें:-

कोटेशन-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

- कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।

3. Rate Contract for Maintenance of split / window A.C. and other items / works of A.C. को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेंगा। (सब्लेट नहीं करेगा)
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन के लिए अनुरोध किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
6. क्रय समिति को पूर्ण अथवा आंशिक कोटेशन स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
8. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
9. कोटेशन के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
11. सभी एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) का सर्विस/मरम्मत कार्य फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
12. सभी एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरुस्त करनी होगी।
13. विभाग में स्थापित एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
14. गैस व कम्प्रेसर बदलने की स्थिति में उसे बदलने से पहले कार्यालय को सूचित करना होगा।
15. संलग्न सूची के अतिरिक्त अन्य ए.सी. लगने पर उनका रख-रखाव भी उक्त स्वीकृत दर पर ही करना होगा।
16. मशीनों में ओरिजनल पार्ट्स लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएंगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाये जाकर इस आशय की रिपोर्ट बिल पर करनी होगी, जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
17. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।



निदेशक 08.05.24

क्रमांक: एफ9(247)/स्टोर/A.C-AMC/2024-25/221-25

दिनांक: 08.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित/रक्षित पत्रावली।
4. मैसर्स _____


उप सचिव (स्टोर प्रभारी)